

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1— मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3— जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष,
समस्त स्थानीय विकास प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

- 2— अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी।
- 4— अध्यक्ष / सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री।

आवास अनुभाग—2

विषय : सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी नीति में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सूच्य है कि सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—506 / V / आ०—2016—23(आ०) / 2011, दिनांक 30.03.2016 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2— अतः उपर्युक्त विषयक के संबंध में शासन रत्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०—५०६ / V / आ०—२०१६—१३(आ०) २०११ दिनांक ३०—३—२०१६ द्वारा निर्गत नीति के प्रस्तर—२(iii)(II) में निम्नवत् संशोधन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रस्ताव
<p><u>(iii) योजनान्तर्गत ई०डब्ल्य०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का प्रतिशत</u></p> <p>{ उक्त शासनादेश के प्रभावी होने के उपरांत }</p> <p>सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय (भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) परियोजनाओं में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10—10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) ई०डब्ल्य०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का निर्माण तथा ऐसी पुनरीक्षित परियोजनायें, जिनमें इकाई वृद्धि प्रस्तावित है, में अतिरिक्त इकाई पर 10 प्रतिशत ई०डब्ल्य०एस० एवं 10 प्रतिशत एल०आई०जी० भवनों का निर्माण निम्नलिखित रातों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया</p>	<p><u>(iii) योजनान्तर्गत ई०डब्ल्य०एस० भवनों का प्रतिशत</u></p> <p>{ उक्त शासनादेश के प्रभावी होने के उपरांत }</p> <p>सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय (भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) परियोजनाओं में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 15 प्रतिशत ई०डब्ल्य०एस० भवनों का निर्माण तथा ऐसी पुनरीक्षित परियोजनायें, जिनमें इकाई वृद्धि प्रस्तावित है, में अतिरिक्त इकाई पर 15 प्रतिशत ई०डब्ल्य०एस० भवनों का निर्माण निम्नलिखित रातों एवं प्रतिबन्धों के अधीन</p>

एरिया" कमशः 25 वर्गमी० एवं 35 वर्गमी० के समतुल्य भूमि हेतु सम्बन्धित योजना की भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी—

परियोजना में कुल आवासीय इकाईयों की कुल संख्या X(25+35) X वर्तमान सर्किल रेट का आधा

10

परियोजना हेतु अपेक्षित कुल ई०डब्ल्य०एस० एवं एल०आई०जी० इकाई संख्या के यदि आंशिक रूप से इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया हो तो शेष इकाई के निर्माण के एवज में रोल्टर फण्ड लेते हुए परियोजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

ऐसी पूर्व स्वीकृत परियोजनायें, जिनमें विकासकर्ता द्वारा केवल ई०डब्ल्य०एस० इकाई का प्रावधान है, में रोल्टर फण्ड की गणना उक्त फार्मूले में वर्णित 35 वर्गमी० को सम्मिलित न करते हुए, की जायेगी।

अपेक्षित कुल इकाईयों के भवन की निर्माण एवं विकास लागत लोक निर्माण विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी आवास हेतु निर्धारित प्लिन्थ एरिया दरों के आधार पर रोल्टर फण्ड के रूप में जमा की जायेगी।

परियोजना हेतु अपेक्षित कुल ई०डब्ल्य०एस० इकाई संख्या के सापेक्ष यदि आंशिक रूप से इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया हो तो शेष इकाई के निर्माण के एवज में रोल्टर फण्ड लेते हुए परियोजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

3— उक्त शासनादेश दिनांक 30—03—2016 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(अमित्र सिंह नेगी)
सचिव

संख्या - १५१३ / V-2-2017-23(आ०) / 2011-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी / कुमार्यू नैनीताल।
- 2— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 3— निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
- 4— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5— सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल / कुमार्यू सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून / हल्द्वानी।
- 6— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव